राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3000/2024

पवन कुमार गौरा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. उप निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, सीकर।
4. महेश महला, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, खंडेला, जिला सीकर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 27.09.2024

आदेश की दिनांक : 30.09.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यालय ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, खंडेला, सीकर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 20.09.2024 जिसके द्वारा अपीलार्थी को पदोन्नति दी गई है और पदोन्नति उपरांत उसे वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यालय उप निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, झालावाड पदस्थापित किया गया है, जो वर्तमान पदस्थापन स्थान

से 450 कि.मी. दूर है। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी की वर्ष 2015 में किडनी ट्रांसप्लांट हो चुकी है, जो अनुलग्नक–4 से प्रकट होता है। इसके बावजूद अपीलार्थी को 450 कि.मी. दूर पदस्थापित किया है और निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 को अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी बीमारी के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उसने कथन किया है कि अपीलार्थी का निरंतर उपचार चल रहा है और जिसके चलते अपीलार्थी की देखरेख की आवश्यकता भी है। परंतु अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर कोई विचार न करते हुये प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी को बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के 450 कि.मी. दूर पदस्थापित किया है जो अनुचित है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये पदोन्नति आदेश को निरस्त किये बिना अपीलार्थी को वहीं पर कार्यरत रखा जावे अथवा पदस्थापित स्थान के आसपास पदस्थापित किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यालय ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, खंडेला, सीकर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 20.09.2024 जिसके द्वारा अपीलार्थी को पदोन्नति दी गई है और पदोन्नति उपरांत उसे वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यालय उप निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, झालावाड पदस्थापित किया गया है। जहां तक अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से 450 कि.मी. दूर पदस्थापित किये जाने का प्रश्न है, अनुलग्नक–4 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की किडनी ट्रांसप्लांट की गई है, जिसका उपचार भी चल रहा है और इस प्रकार अपीलार्थी की देखभाल भी उपचार की दृष्टि से आवश्यक है। अतः ऐसी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुये एवं अपीलार्थी उक्त उपचार को ध्यान में रखते हुये हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के

परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में कार्यमुक्त आदेश दिनांक 23.09.2024 द्वारा कार्यमुक्त की क्रियान्विती (Operation) को स्थगित किया जाता है एवं अपीलार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण होने तक वहीं पर कार्यरत रखा जावे, जहां चुनौती आदेश जारी किए जाने से पूर्व कार्यरत था। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष